

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 14/2014

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भंवरकंवर पुत्री सवाईसिंह
2. कंचनकंवर पुत्री सवाईसिंह
3. गुलाबकंवर पुत्री सवाईसिंह
4. महेन्द्र कंवर पुत्री सवाईसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण
खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. महावीरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
2. नटराजसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह
3. गरिमा राठौड़ पुत्री हिम्मतसिंह
जरिये कुदरती वली माता पुष्पा
राठौड़ पत्नी हिम्मतसिंह
4. पुष्पा राठौड़ पत्नी हिम्मतसिंह
5. धापकंवर पत्नी सवाईसिंह
जाति राजपूत निवासी खारिया
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
6. सुगरी बानो पत्नी लाल मोहम्मद
जाति मुसलमान (तेली) निवासी
खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा
7. मुनेशसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति
राजपूत
8. खुशबू पुत्री उम्मेदसिंह
9. मरुधर पत्नी उम्मेदसिंह जातियान
राजपूत निवासीगण खारिया
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
10. प्रबन्धक आन्धा बैंक शाखा
कार्यालय बिलाड़ा
11. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा खारिया
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
12. तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 18.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम खारिया मीठापुर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित राजस्व मूल वाद संख्या 23/2014 भंवरकंवर वगैराह बनाम महावीरसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आज दिनांक 18.05.2017 को निर्णय हो चुका है। मूलवाद का निर्णय हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूलवाद संख्या 23/2014 भंवरकंवर वगैराह बनाम महावीरसिंह वगैराह के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

